LGD Notification No. - LGD/RJ/V10/20240527171020

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

Creation of New Village

Published By		**Proposed By**	
Name	Mohd.Salim Khan	Name	BORTDRLR
Designation	Deputy Registrar Land Record	Designation	Tehsildar
Mobile no.	9461429781	Mobile no.	9461429781
IP Address	164.100.145.30	IP Address	164.100.145.30
On date	27/05/2024	On date	27/05/2024

District Name	Ajmer
Sub District Name	Ajmer
Village Name (In English)	Kajipura
Village Name (In Local language)	काजीपुरा
Village Effective Date	17/06/2022
Village Status	Inhabitant
How to Village is Formed?	New Village Created by Existing Village.

CONTRIBUTED VILLAGES LIST

Village Code	Village Name	Coverage Type
91641	Boraj-Kazipura (Ct)	PART

कार्यालय कलक्टर (भू अभिलेख), अजमेर जिला—अजमेर (राजस्थान)

दिनांकः 20.07.2022

क्रमांकः कअ/भूअ/संस्था/नवीन ग्राम/2022/5938

निमितः

तहसीलदार,
अजमेर

विषयः—नवसृजित राजस्व ग्राम काजीपुरा की अधिसूचना भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः—विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप—1) विभाग की अधिसूचना क्रमांकः प.9(2) राज—1/2022 जयपुर दिनांक 17.06.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक अधिसूचना की प्रति प्रेषित कर लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरो के अनुसार नवीन घोषित राजस्व ग्राम काजीपुरा का राजस्व अभिलेख एवं राजस्व मानचित्र एक माह में पृथक से तैयार कर इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही आप द्वारा काजीपुरा को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने हेतु पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव की एक प्रति भू—प्रबन्ध अधिकारी अजमेर को उपलब्ध करावे।

संलग्नः—अधिसूचना की प्रति

20/7/22

प्रभारी अधिकारी
भू—अभिलेख अनुभाग
कलक्ट्रेट, अजमेर

क्रमांकः कअ/भूअ/संस्था/नवीन ग्राम/2022/5939-43

दिनांकः 20.07.2022

प्रतिलिपिः— निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. भू—प्रबन्ध अधिकारी अजमेर।
2. प्रभारी अधिकारी राजस्व/सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, अजमेर।
3. उपखण्ड अधिकारी समस्त जिला अजमेर।
4. तहसीलदार समस्त जिला अजमेर

20/7/22

प्रभारी अधिकारी
भू—अभिलेख अनुभाग
कलक्ट्रेट, अजमेर

भूमि

राजस्थान–सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

जयपुर, दिनांक : 17-6-22

क्रमांक : प. 9(2)राज –1/2022

–: अधिसूचना :–

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या–15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर अजमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि जिला कलक्टर, अजमेर की तहसील अजमेर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या–7 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या–9 के अनुसार होगा :–

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			प्रस्तावित ग्राम का विवरण			दूरी (कि. मी.)	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)	नवीन ग्राम का नाम	जन संख्या 2011	भौगोलिक क्षेत्रफल (है. में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अजमेर / अजमेर	हाथी खेड़ा / अजमेर ग्रामीण	बोराज काजीपुरा	8780	727.76	काजीपुरा	2780	300.317	2	427.443

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग–अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों/नवीन राजस्व ग्रामों की पृथक–पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे/अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, अजमेर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(विश्राम मीणा)
विशिष्ट शासन सचिव

Signed by Mohd.salim Khan
Date: 27-05-2024 17:10:20

1307
20/7/22